अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या 415 /2016–17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
7/8/2020	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा **बलारडीह** थाना सं0–**284** के गत सर्वे खाता **28** खेसरा–**240** अंश रकबा –**2.00ए0** से सम्बन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–19/8/2020 को उपस्थापित करें। 7/8/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।	
19/8/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर एक बांग्ला दलील दिनांक–24.09.1968 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है साथ ही एक पुराना रसीद अपठनीय छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदक द्वारा वर्ष 01.01.1946 से पूर्व का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है । अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक–लिस्ट का गहनतापूर्वक जॉच कर स्पष्ट मन्तव्य की मॉग करे। अभिलेख दिनांक–31/10/2020 को उपस्थापित करें। 19/8/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।	
31/10/2020	अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं0–6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्द करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–**बलारडीह** थाना सं0–284 के खाता–28 के खेसरा–**240 रकबा–2.00ए0** भूमि की कायम जमाबन्दी सं0–**229** जो रैयत कालो पद दत्त के नाम कायम संदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाते की भूमि का दिनांक **1.1.1946** से पुर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।	

Scanned with CamScanner

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड़) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–(4I।) के तहत् जमाबन्दी पंजी–2 में कायम जमाबन्दी सं0–**229** को रद्ध करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

21/10/2020

अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

Scanned with CamScanner